



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा-गढ़वाल

E-mail id :- cepwdugadda@rediffmail.com
cepwdcddugadda@gmail.com
Phone & Fax No :-01382-251221

पत्रांक 664

/ 521

दिनांक 22/2/2021

सेवा में,

उपनिदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाईगर रिजर्व पार्क
अनसारी रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगा भोगपुर के पास बीन नदी पर 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग दुगड्डा को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु।

संदर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्रांक-1864/FP/UK/ROAD/44583/2020 दिनांक 13/1/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार वन पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड़, देहरादून -248001 के पत्र सं0-8बी0/यू0सी0पी0/06/159/2020/एफ0सी0/2058 दि0 29/12/20 के द्वारा दर्ज आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है :-

बिन्दु सं0-1 उक्त मोटर मार्ग जनपद हरिद्वार एवं जनपद पौड़ी गढ़वाल को जोड़ने वाला महत्त्वपूर्ण मार्ग है। उक्त मार्ग का उपयोग डाडामण्डल के 27 ग्रामसभाओं के अतिरिक्त कौवड़ मेला एवं महाकुम्भ मेला तीर्थ यात्रियों को ऋषिकेश, लक्ष्मणझूला एवं नीलकण्ठ महादेव मंदिर तक यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण मार्ग है। जो कि आपात स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग 58/7 के विकल्प के रूप में प्रयोग होता है। डबल लेन सेतु के लिए मुख्य जिला मार्ग के अनुसार भूमि अर्जन कम से कम 12 मी0 होती है जो कि आई0आर0सी0 -52.2019 के पैरा 6.2.1 में विस्तृत रूप से दिया गया है। अतः पूर्व में भेजे गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में डबल लेन सेतु/मोटर मार्ग के लिए 12 मी0 चौड़ाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न -आई0आर0सी0-52.2019 के पैरा 6.2.1 की प्रति)।

बिन्दु सं0-2 उक्त बिन्दु आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

बिन्दु सं0-3 उक्त बिन्दु आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

बिन्दु सं0-4 भारत सरकार वन पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय एकीकृत (वन्य जीव प्रभाग) के पत्रांक-F. No-6-154/2019 WL Dated 27/1/2020 Minutes of 56th meeting of the standing committee of national board for wild life held on 17th Dec 2019 (छाया प्रति संलग्न) के एजेण्डा नं0 2 के पैरा नं0 56.4.3 के बिन्दु 5 के अनुसार पुल के पाये की ऊंचाई 8 मी0 निर्धारित की गई, जिसके अनुसार एप्रोच को लगभग 11 मी0 उठाना होगा, जिसकी औसतन ऊंचाई उत्तर की ओर 1.58 मी0 आती है तथा दक्षिण की ओर 3.2 मी0 आती है, जिसके अनुसार (100x12x1.58=1896 तथा 125x12x3.2=4800) कुल 6696 घन मी0 मृदा की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

Safdar

MS

क्योंकि सेतु में वैल फाउण्डेशन का निर्माण किया जाना है, जिसमें जो मृदा नींव निर्माण के दौरान प्राप्त होगी। उस मृदा को ही वैल फाउण्डेशन को भरने हेतु प्रयोग में लिया जायेगा, जिस कारण मलवा निस्तारण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

अतः पूर्व में प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने हेतु अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


20/11/24

(निर्भय सिंह)

अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

दुगड्डा-गढ़वाल

दिनांक 22/02/2024

पत्रांक 664

15 सी

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (मु0लक्ष्मणझूला), निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा को इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(निर्भय सिंह)

अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

दुगड्डा-गढ़वाल।

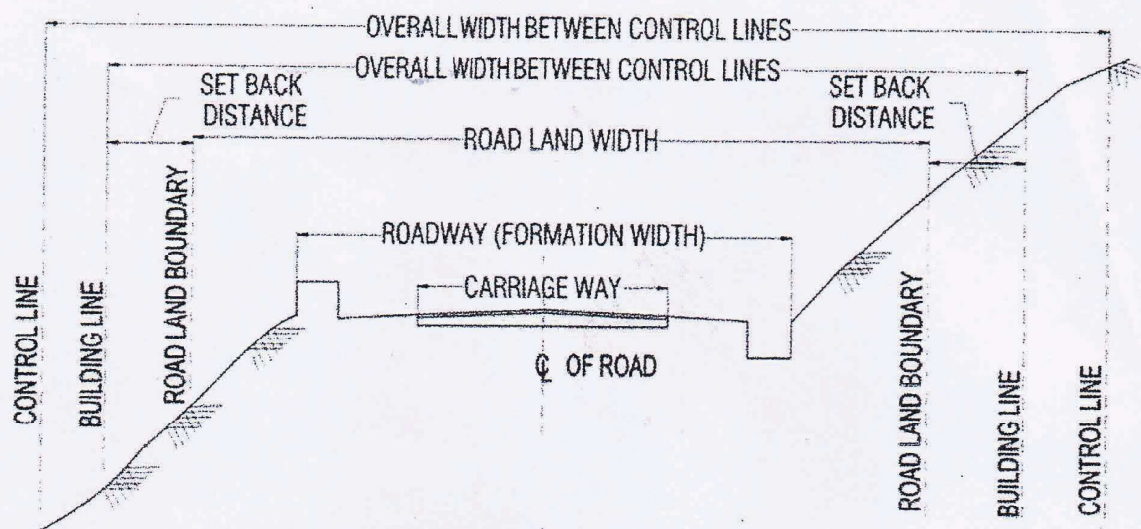


Fig. 6.3 Road Land

6.2 Width of Road Land, Roadway, Carriageway and Shoulders

6.2.1 Desirable widths of road land (right of way) for various categories of roads are given in Table 6.1 (Hilly Areas of Mountainous and Sleep Terrain)

Table 6.1 Desirable Road Land Widths (m)

S. No.	Road Classification	Open Areas		Built-up Area	
		Normal	Exceptional	Normal	Exceptional
1	National and State Highways (Double Lane)	24	18	20	18
2	Major District Roads	18	15	15	12
3	Other District Roads	15	12	12	9
4	Village roads	9	9	9	9

Notes: 1. In order to ensure proper sight distance, It may be necessary to acquire additional right of way over that indicated in the Table. Right of way shall be enough to ensure minimum set back of 5 m for building line from edge of road land boundary.

2. Additional land is required at locations involving deep cuts, high fills and unstable/landslide areas need to be protected for overall stability.

3. If the road is planned to be upgraded in the future, land width shall correspond to higher class of road.

6.2.2 Width of carriageway, shoulders and roadway for various categories of roads are given in Table 6.2.

bridge irrespective of its mention in **Schedule 'B'**. Concessionaire must ensure its rehabilitation before COD.

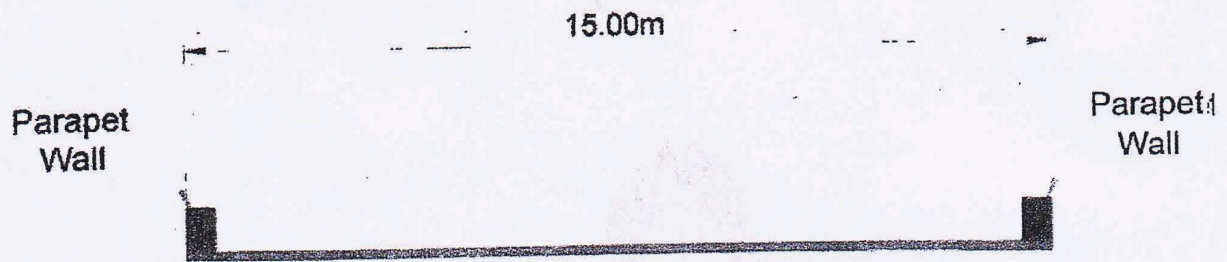


Fig 7.1 Typical cross section of Culvert at deck level for 2-Lane Highway
(Open country - Plain/rolling terrain)

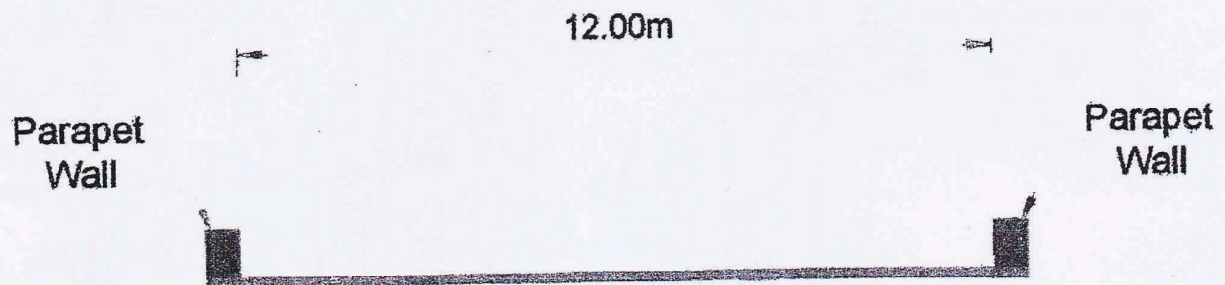


Fig 7.2 Typical cross section of Culvert at deck level for 2-Lane Highway without earthen shoulders
(Open country - Plain/rolling terrain)

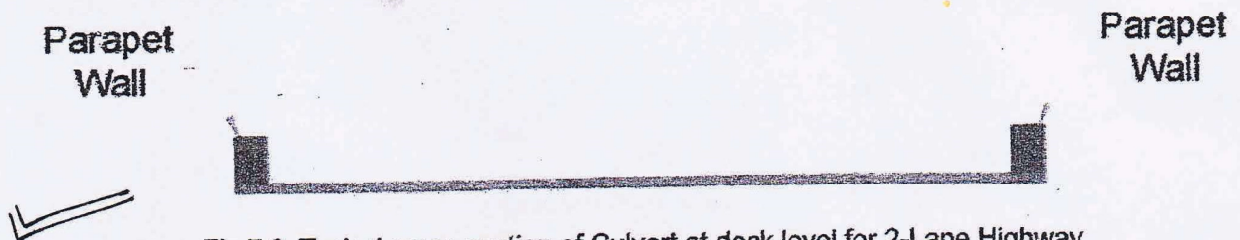


Fig 7.3 Typical cross section of Culvert at deck level for 2-Lane Highway
(Built-up Area - Plain/rolling terrain)

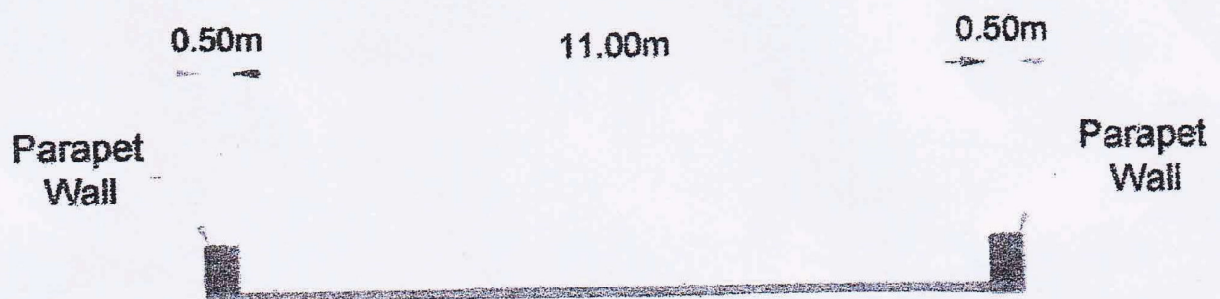


Fig 7.4 Typical cross section of Culvert at deck level for 2-Lane Highway with paved shoulder
(Open country - Mountainous terrain)